न्यायालय, राजस्व परिषद (खण्डपीठ) उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पुनर्विलोकन प्रा0प0सं0–14 /2010–11

अन्तर्गत धारा–220 भू0रा0अधि
सपठित धारा–151 सी0पी0सी0

योगेश चन्द्र उप्रेती, पुत्र दुर्गा दत्त उप्रेती, निवासी–पाण्डे गांव, वार्ड नं0–2 भीमताल, तहसील व जिला नैनीताल।

बनाम

1– मौ0 असफाक खान, 2. मौ0 उसमान खान, पुत्रगण मौ0 खान, निवासी–इन्दर नगर, निकट दुर्गा मन्दिर, हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

उपस्थित : एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष, एवं
श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकन प्रार्थी : श्री सी0एम0 असवाल।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री पी0के0 गर्ग।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तत्कालीन मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, नैनीताल द्वारा निगरानी संख्या–07/2009 योगेश चन्द्र उप्रेती बनाम मौ0 अशफाक आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–09–2010 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि पुनर्विलोकन प्रार्थी द्वारा जिन वसीयतों के आधार पर नामान्तरण वाद प्रस्तुत किया गया था तथा जिन्हें फर्जी बताकर निरस्त करने हेतु उत्तरदातागण ने सिविल जज (सी0डि0) नैनीताल के न्यायालय में जो वाद योजित किया था वह आदेश दिनांक 28–06–2008 से निरस्त हो चुका है तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील भी विद्वान जिला जज, नैनीताल एवं उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः सिविल न्यायालयों के आदेश के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी स्वीकार की जाय।

हमनें उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा संगत अभिलेखों का भली भांति अध्ययन किया।

पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि मा0 इकबाल पुत्र कुन्दर खान द्वारा वादग्रस्त भूमि की जो वसीयत दिनांक 24–01–1995 एवं 06–05–2003 को की गई थी उन्हें निरस्त करने सम्बन्धी वाद सिविल जज (सी0डि0) नैनीताल से लेकर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अंतिम रूप से निरस्त किया जा चुका है तथा प्रश्नगत वसीयतों को फर्जी न मानते हुए वैध माना है। दूसरी ओर उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता यह तो मानते है कि सिविल न्यायालयों द्वारा वसीयतों को फर्जी नही माना गया है लेकिन उनका तर्क है कि वसीयतों में यह कहीं नही लिखा गया है कि वसीयतकर्ता अपने वारिसों को क्यों वादग्रस्त सम्पत्ति नही देना चाहता है जो कि उन्हें संदिग्ध बनाते है एवं यदि सिविल

न्यायालयों द्वारा वसीयत फर्जी नही पाई गई है तो पुनर्विलोकनकर्ता नियमित वाद दायर कर सकता है।

विद्वान तहसीलदार, नैनीताल ने पुनर्विलोकन प्रार्थी का नामान्तरण वाद मात्र इस आधार पर खारिज किया कि वसीयत संदिग्ध है जिसके विरूद्ध सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत अपील भी वसीयत को संदिग्ध मानते हुए निरस्त की गई है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, नैनीताल ने यह मंतव्य अंकित करते हुए कि वसीयत प्राप्तकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय से वसीयत प्रोवेट नही कराई है; वसीयत के पंजीकरण होने अथवा प्रोवेट जारी होने की स्थिति में प्रकरण की स्थिति भिन्न होती; यद्यपि वसीयत को खारिज करवाने हेतु दायर वाद खारिज हुआ है लेकिन यह तथ्य तहसीलदार, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि का वास्तविक कब्जा हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में हुआ है या नही तहसीलदार के निर्णय में नही आया है। निगरानी निरस्त की है।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि वसीयत दिनांक 24–01–1995 एवं 06–05–2003 को निरस्त करने सम्बन्धी दीवानी न्यायालय में दाखिल वाद सिविल जज (सी0डि0) नैनीताल से लेकर मा0 उच्च न्यायालय तक निरस्त हुआ है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–08–2010 का संज्ञान तत्कालीन मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष नही प्रस्तुत हुआ है। चूंकि वसीयत निरस्त करने सम्बन्धी वाद अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी वसीयत को फर्जी/कूटरचित नही पाया है एवं दोनो पक्ष यह भी स्वीकार करते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–08–2010 के विरूद्ध कोई विशेष अपील अथवा एस0एल0पी0 लम्बित नही है। फलस्वरूप पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 16–08–2010 जो कि तत्समय न तो नामान्तरण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय एवं निगरानी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था के दृष्टिगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकारणीय है। वसीयकर्ता के सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों के अंतिम निर्णय के दृष्टिगत मूल नामान्तरण प्रकरण जिसमें प्रश्नगत वसीयतों को आधार बनाया गया है को पुनर्स्थापित कर उसे उक्त निर्णयों के आलोक में निस्तारित किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार निगरानी स्वीकार कर नामान्तरण, अपीलीय एवं इस न्यायालय के निर्णयादेश अपास्त कर प्रकरण नामान्तरण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 25–10–2010 स्वीकार कर निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–09–2010, विद्वान सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 21–01–2009 तथा नामान्तरण न्यायालय का आदेश दिनांक 05–07–2004 अपास्त कर नामान्तरण प्रकरण तहसीलदार, नैनीताल को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे मूल नामान्तरण में प्रस्तुत वसीयतों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों के निर्णय का विधिक संज्ञान लेकर एवं

विपक्षी को उनके सापेक्ष प्रतिखण्डन (rebuttal) का अवसर प्रदान कर नामान्तरण की कार्यवाही में विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार दिनांक 14–02–2018 को तहसीलदार, नैनीताल के न्यायालय में उपस्थित हो तब तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनी रहेगी। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)
दिनांकः 11.01.2018

एस0 रामास्वामी,
अध्यक्ष।
दिनांकः 11.01.2018